



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 61 राँची, शुक्रवार,

18 फरवरी, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी, 2022

एस०ओ०-01

संख्या-7/विमु०संशो०1003/2022श्र०नि०(मु०का०नि०)-113--श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-141, दिनांक- 3 फरवरी, 2017 के खण्ड 20, खण्ड 23 तथा खण्ड 15 में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

खण्ड 15. दखलकार यह भी देखेंगे कि नियोजित महिलाओं के एक टोली (Batch) में 05 से कम संख्या में नियोजित न हों तथा उपरोक्त अवधि में कारखानों में कुल नियोजित महिलाओं की कुल न्यूनतम संख्या के पाँच हो ।

खण्ड 20. दखलकार नियोजक उक्त अवधि में कम से कम एक महिला संरक्षक (Female Warden) की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी ।

खण्ड 23. उक्त अवधि में पर्यवेक्षक या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारी (**Supervisory Staff**) में महिलाओं की संख्या पाँचवी हिस्सा अथवा दो (जो अधिक हो) होना चाहिए।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-141, दिनांक- 3 फरवरी, 2017 के शेष सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./- (अस्पष्ट),
सरकार के उप सचिव ।
